छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020

(चैत्र 06, शक सम्वत् 1941)

[अंक 18]

Website copy

छत्तीसगढ़ विधानसभा

गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020

(चैत्र 6, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>निधन का उल्लेख</u>

<u>सुकमा जिले के चिन्तागुफा थाने के मिनपा एवं कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवान।</u>

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करने हुए अत्यन्त दु:ख हो रहा है कि शनिवार दिनांक 21 मार्च, 2020 को सुकमा जिले के चिंतागुफा थाने के मिनपा एवं कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गये। मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उन जाबांज शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उन वीर जवानों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। वीर जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। नक्सलियों के इस कायराना कृत्य की यह सदन कड़ी निंदा एवं भर्त्सना करता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शनिवार को जो घटना घटित हुई, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है और उसमें हमारे 17 जवान शहीद हुए जिसमें डी.आर.जी. और एस.टी.एफ. के जवान शामिल थे। उन्होंने नक्सलियों से बहादुरीपूर्वक लड़ा और उन्होंने अनेक नक्सलियों को मार गिराया। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दु:ख सहने की क्षमता प्रदान करे। यह वीर जवानों की शहादत बेकार नहीं जायेगी। मैं फिर से संकल्प दोहराता हूं कि हम लोग नक्सलियों को उखाड़ फेकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वीर जवानों के साथ-साथ पूरी दुनिया में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, उसमें भी हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, लाखों लोग पीड़ित हुए हैं और हजारों लोगों की मौत हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह बड़ी घटना है। जिस प्रकार से हमारे जवानों ने नक्सलियों के साथ में लड़ाई लड़ी है और इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए वह शहीद हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस बात को हम लोग बार-बार विधानसभा में उठा रहे हैं कि नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वास्तविक में आगे ऐसी घटना न घटे, मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है कि ये नक्सली गोलियों की भाषा समझने वाले नहीं हैं, वह जिस भाषा और बोली

को समझते हैं, उस भाषा, बोली में उनको जवाब देने का समय आ गया है। इसलिए उनकी ज्यादा प्रतीक्षा करने के बजाय इस प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए सरकार को लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए जिससे नक्सलियों को मनोबल गिरे और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत बेकार न जाये, बल्कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में दे सकें। मैं ऐसे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही जो जवान घायल हैं और अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वह जल्दी स्वस्थ हों, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। यह कामना करता हूं उनके परिवार को असमय घडी में जो दु:ख आया है, वह सहने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से जो मौतें हुई हैं, जो लोग कालकवलित हुए हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, यह घटना आपके क्षेत्र में हुई ह

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव):- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर के सुकमा जिले में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे पुलिस कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए । हमारी सुरक्षा में लगे हुए जवानों की शहादत हुई है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले में जो घटना हुई है । उसमें पहली बार हमारे स्थानीय लड़के शहीद हुए हैं । यह जो घटना हुई है मैं इस पर दुख व्यक्त करता हूं और उन बहादुर जवानों को नमन् करता हूं । जिस क्षेत्र में नक्सली पैदा हुए हैं उनके ही क्षेत्र में वे बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए । उन्होंने नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया है । मैं उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो जवान घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं । इस दुख की घड़ी में सदन उन सबके साथ है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । वीर जवानों के सम्मान में सदन एक मिनट का मौन धारण करेगा ।

(सदन द्वारा खड़े होकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- शहीदों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5.00 मिनट के लिए स्थगित ।

(11.07 से 11.15 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11:15 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- गुरूवार दिनांक 26 मार्च, 2020 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस के महामारी के रूप में विश्व में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऐहतियातन रूप से मंगलवार दिनांक 24 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। अत: आज के निर्धारित प्रश्नकाल नहीं होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अनुदान मांगों पर मुखबंद (गिलोटीन) के द्वारा पारित किया जाये। साथ ही तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की कार्यवाही आज ही की जाये तथा शासन की ओर से कल बुधवार दिनांक 25 मार्च, 2020 को प्रात: 13 विधेयकों को उनके महत्व एवं उपयोगिता को देखते हुए नियम शिथिल कर आज पुर:स्थापित किया जाकर विचार एवं पारण हेतु लिया जाये। पश्चात सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये। अब इसके सम्बन्ध में श्री रविन्द्र चौबे जी संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहे।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हो , वे कृपया "नां" कहे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन।

(थोड़ी देर पश्चात)

अध्यक्ष महोदय :- मैं एक बार पुन: पढ़ रहा हूं। प्रश्न यह है कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहे।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "नां" कहे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन।

अध्यक्ष महोदय :- मत विभाजन के लिए घंटी बजाई जाये और लॉबी को खाली कराया जाये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, मत डिवीजन हाथ उठाकर कर लीजिए ।जब मध्यप्रदेश में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता । हाथ उठाओ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी की व्यवस्था आने के बाद में जो व्यवस्था है, आप उसका पालन करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बात को ...तैयार हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, घण्टी बजाने का है । बैठिये ।

अध्यक्ष महोदय :- सब लोग उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति देता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-डिवीजन, डिवीजन ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहें, वह अपने दायीं ओर की लॉबी में तथा जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में मत देना चाहें, वे मेरी बायीं ओर की लॉबी में चले जायें और वहां रखी विभाजन सूची में अपना हस्ताक्षर करें । उसके पश्चात् यहां लौटें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ध्यान से सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव के पक्ष में 57 मत तथा प्रस्ताव के विपक्ष में 14 मत प्राप्त हुये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

हॉ पक्ष

1. श्री गुलाब कमरो
2. डॉ. विनय जायसवाल
3. श्रीमती अम्बिका सिंहदेव
4. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
5. डॉ.प्रीतम राम
6. श्री अमरजीत भगत
7. श्री विनय कुमार भगत
8. श्री यू.डी.मिंज
9. श्री चक्रधर सिंह सिदार
10. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
11. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
12. श्री उमेश पटेल

ना पक्ष

1. श्री पुन्नूलाल मोहले
2. श्री धरमलाल कौशिक
3. श्री रजनीश कुमार सिंह
4. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री सौरभ सिंह
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री बृजमोहन अग्रवाल
10. श्री डमरूधर पुजारी
11. श्री अजय चन्द्राकर
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

13. श्री लालजीत सिंह राठिया
14. श्री जयसिंह अग्रवाल
15. श्री पुरूषोत्तम कंवर
16. श्री मोहित राम
17. डॉ. रश्मि आशिष सिंह
18. श्री शैलेष पाण्डे
19. श्री रामकुमार यादव
20. श्री किस्मत लाल नन्द
21. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
22. श्री द्वारिकाधीश यादव
23. श्री विनोद सेवनललाल चंद्राकर
24. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय
25. सुश्री शकुंतला साहू
26. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
27. श्री सत्यनारायण शर्मा
28. श्री कुलदीप जुनेजा
29. श्री धनेन्द्र साहू
30. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
31. श्रीमती संगीता सिन्हा
32. श्रीमती अनिला भेंडिया
33. श्री कुंवर सिंह निषाद
34. श्री भूपेश बघेल
35. श्री ताम्रध्वज साहू
36. श्री अरूण वोरा
37. श्री देवेन्द्र यादव
38. श्री गुरू रूद्र कुमार
39. श्री रविन्द्र चौबे
40. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
41. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
42. श्रीमती ममता चन्द्राकर
43. श्री मोहम्मद अकबर
44. श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल
45. श्री दलेश्वर साहू
46. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू

13. श्री विद्यारतन भसीन
14. डॉ.रमन सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

47. श्री इन्द्रशाह मंडावी
48. श्री अनूप नाग
49. श्री शिशुपाल सोरी
50. श्री संतराम नेताम
51. श्री मोहन मरकाम
52. श्री चंदन कश्यप
53. श्री बघेल लखेश्वर
54. श्री रेखचंद जैन
55. श्री राजमन बेंजाम
56. श्री विक्रम मंडावी
57. श्री कवासी लखमा

अध्यक्ष महोदय :- आज गुरूवार दिनांक 26 मार्च, 2020 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार आज प्रश्नकाल नहीं होगा । इसलिए मैं अगले क्रम को लेता हूँ । श्री भूपेश बघेल ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यमंत्रणा समिति ...। हमें सुन लें ।

नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक :- हमें आप सुन लें, उसके बाद जो चलाना है, चलायेंगे । हमको सुन लीजिए, आखिर यह मतदान की स्थिति क्यों आई । इसलिए आपको सुनना चाहिये । हमको सुनने के बाद आसंदी का जो निर्देश होगा..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप हमें सुन लें । सुनने के बाद आप आगे की कार्यवाही करें तो औचित्यपूर्ण होगा ।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-02)

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड 2 की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्रापत राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-02 पटल पर रखता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 क्रमांक 67 सन् 1957 की धारा 28 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 नवम्बर, 2016.
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 30 जून, 2016.
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 7 जुलाई, 2017
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 फरवरी, 2019
(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 14 अगस्त, 2019 तथा
(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 6 फरवरी, 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 क्रमांक 67 सन् 1957 की धारा 28 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 नवम्बर, 2016.
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 30 जून, 2016.
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 7 जुलाई, 2017
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 फरवरी, 2019
(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 14 अगस्त, 2019 तथा
(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 6 फरवरी, 2020

पटल पर रखता हूँ ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 क्रमांक 36 सन 2003 की धारा 105 की उपधारा 2 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखता हूँ ।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 क्रमांक 36 सन् 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें विनियम, 2019, पटल पर रखता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(5) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 क्रमांक 18 सन् 2013 की धारा 395 की उपधारा 1 के पद बी की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय :- पटल पर आ जाये । पटल पर तो आने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुन लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जरूरी नहीं है । हमारी बात आप पहले सुन सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- हो जाने दीजिए ।

(6) अधिसूचना क्रमांक 1361/एफ-03/28/विविध/2019/14-2 दिनांक 2 मार्च, 2020

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 क्रमांक 23 सन् 2019 की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1361/एफ-03-28/विविध/2019/14-2 दिनांक 2 मार्च, 2020 पटल पर रखता हूँ ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019

आदिम जाति विकास मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय,मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 क्रमांक 25 सन् 1995 की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक पटल पर रखता हूँ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको आप सुन लीजिए, उसके बाद जो रखना है, रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :-यह विधेयक नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक बार सुन लीजिए । सुनने के बाद ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,सुन लिया जाये । हमने उसमें पहली बार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधिवत कार्यमंत्रणा के प्रतिवेदन पर डिवीजन मांगा है । इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको पढ़वा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हमारा कहना यह है कि हमने कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर हमने डिवीजन मांगा है । डिवीजन मांगने का कारण क्या है, इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, उसको आपको सुनना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुनूंगा ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उसको बाद में पढ़वा लीजिए । आप कार्यवाही शुरू करने के पहले कार्यमंत्रणा समिति में, आप उसको बाद में पढ़वा लीजिए । उसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसका कोई औचित्य नहीं है । इसका क्या औचित्य है । डिवीजन हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसको पढ़ लेने दीजिए । दो मिनट, एक मिनट की बात है, पढ़ लेने दीजिए । उसके बाद बोल लीजिए । आप लंबा बोलोगे ।

(8) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक

उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 क्रमांक 24 सन 2004 की धारा 31 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक पटल पर रखता हूँ ।

(9) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 क्रमांक 18 सन् 2013 की धारा 395 की उपधारा 1 के पद बी की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखता हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप विपक्ष को संरक्षण नहीं देंगे, आप हमारी बात सुनिये, हम डिवीजन के ऊपर में कहना चाहते हैं...

अध्यक्ष महोदय :- पटल पर तो रखने दीजिए । हमारी बात सुनने दीजिए । मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि आप नहीसुनेंगे ..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुनूंगा, पटल पर रखने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम इस बात पर कहना चाहते हैं,...

(10) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1 (7) दिनांक 12 जुलाई, 2019

खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 29 की उपधारा 2 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1 (7) दिनांक 12 जुलाई 2019 पटल पर रखता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव होने के बाद हमारे कहने का कोई मतलब नहीं होगा।

(11) छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- मैं कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 पटल पर रखती हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यवाही कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या अपनी बात रखेंगे। कार्यमंत्रणा समिति पर आखिर क्यों मतदान हुआ, आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई, इस पर हमको पहले सुन लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के इतिहास में पहली बार कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर डिवीजन मांगा गया, इस पर सबसे पहले आपको विपक्ष को सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय पर डिवीजन मांगा गया है।

(12) छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विकास निगम, रायपुर छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 पटल पर रखती हूं।

(13) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप अपना सुनाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर आपत्ति है कि आपने प्रश्नकाल को स्थगित किया, आपने उसके ऊपर में कहा कि ये कार्यमंत्रणा समिति में, तो कार्यमंत्रता समिति प्रश्नकाल को स्थगित करने का निर्णय नहीं ले सकती।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- बताइये, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मेरा व्यवसथा का प्रश्न है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरा सुन लीजिए, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी बात सुने।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मतदान के बाद आपने जिस विषय में डिवीजन मांग लिया, परिणाम आ गया अब उसमें चर्चा और उसमें सुनने की क्या आवश्यकता है? (मेजों की थपथपाहट) अगर उसके पहले आप कोई बात कहते तो सदन सुनता, आप सुनते, हम सुनते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को दबाने का सत्तापक्ष का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसमें विपक्ष को दबाने जैसी कोई बात नहीं है। मतदान के बाद ये गलत परंपरा होगी। आपने मतदान मांग लिया, डिवीजन हो चुका है, अब उस विषय पर कैसे चर्चा हो सकती है?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष को चार गुना मत मिला है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष गलत परंपरा डाल रही है इसलिए हमने इस विषय पर डिवीजन की बात की। आज तक कार्यमंत्रणा समिति का जो भी प्रतिवेदन आया हमने कभी डिवीजन नहीं मांगा। आप ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, इसलिए हमें उसमें सुना जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, ये गलत परंपरा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें इस बात का खेद है, हमें इस बात का दुख है कि हम लोग नहीं चाहते कि सदन की परंपराओं को तोड़ा जाए, सदन के नियमों को तोड़ा जाए, सदन की कार्यप्रणाली को तोड़ा जाए। आपने प्रश्नकाल को स्थगित किया कि वित्तीय कामों को पूरा करना चाहिए। पूरा विपक्ष वित्तीय कामों को पूरा करने के लिए सहयोग देने को तैयार है और उसके लिए हमने सहमति भी दी है। हम अभी भी सहमति दे रहे हैं। आप पूरे देश में विकट परिस्थिति है।

(14) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2017-2018

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2017-2018 पटल पर रखता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है। इस तरीके से ठीक नहीं है। बहुमत है तो इस तरह से बहुमत का नाजायज फायदा न उठायें।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में विकट परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति है और ऐसे समय में बजट को विलोपित करके इसे पास किया जाए इसके प्रति हम सहमत हैं क्योंकि यह प्रदेश के विकास का मामला है और हमने इसमें सहमति भी दी है। हम इसमें सहमत हैं और आप इसे पास कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इसमें कार्यसूची के बाकी विषयों क्योंकि प्रश्नकाल भी आपने छापा है आपने उसे स्थगित किया बाकी सभी चीजों को स्थिगत किया, आप बजट को पारित करें, हमें समझ में आता है परंतु अभी अभी हमें 28 विधेयकों की अतिरिक्त कार्यसूची दी जा चुकी है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, उसमें मतदान हो गया, आपने पढ़कर सुना दिया है, अब उसमें चर्चा का क्या औचित्य है? अध्यक्ष महोदय, अब इसमें क्या चर्चा हो सकती है, आगे बढ़ना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 विधेयकों की अतिरिक्त कार्यसूची निकल गई। यह कार्यसूची दिया जाना, मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है, यह संसदीय परंपराओं, नियमों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का अपमान है।.. (व्यवधान) ये अतिआवश्यक नहीं है। ये अतिआवश्यक नहीं होने के कारण सभा को स्थगित करके आगामी समय में इसकी चर्चा हो सकती है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव पढ़ दिया। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन हो गया, उसके बाद बात खत्म हो जाती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जिस सूची की बात कर रहे हैं, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई है, लेकिन कार्यमंत्रणा समिति में अपने अनुपूरक कार्यसूची में जिन विधेयकों की सूची दिया है, वह भी नहीं आया है। ये तो अभी आया है तो इस विषय हम में कैसे अपनी बात नहीं रखेंगे। इसलिए बृजमोहन जी, उसमें अपनी बात रख रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हमें इन विधेयकों की सूची नहीं दी गई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो माननीय अध्यक्ष जी ने पढ़ा है, उसमें है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी अनुपूरक कार्यसूची वितरित हुई है। उसमें बाद में अनुपूरक कार्यसूची वितरित हुई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हुई है न। वह तो माननीय अध्यक्ष जी ने कार्यमंत्रणा समिति में अनुमोदित किया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर आपने डिवीजन करा लिया, डिवीजन कराने के बाद और कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह विषय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में नहीं आया, यही तो घोर आपत्ति का विषय है। यह जो अनुपूरक कार्यसूची में विधेयकों की सूची दी गई है, यह कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में नहीं आया।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- आपको पहले चर्चा करनी थी, उसके बाद डिवीजन मांगना था।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- एक बार आपने डिवीजन मांग लिया.. (व्यवधान) यह अपनी बात से पलट रहे हैं, पलटूराम हो गये हैं। डिवीजन मांग लिया, उसके बाद कोई बात नहीं आती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शासन, सत्तापक्ष लगातार सदन की परंपराओं, नियमों को तोड़ रहा है। अनुपूरक कार्य सूची जारी हो रही है, जो आवश्यक नहीं है, कारोना की आड़ में अनावश्यक कामों को भी पूरा किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जितना सुनना था, मैंने सुन लिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- आपने डिवीजन किसके लिए मांगा ? आपने डिवीजन मांगा और डिवीजन हो गया और बात खत्म हो गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस प्रदेश में आसंदी में विराजमान हैं और सबसे वरिष्ठ हैं, उच्च सदन, निचला सदन, राज्य, केन्द्र आदि की सारी विधि विधायी प्रक्रिया के ज्ञाता हैं। कार्यमंत्रणा समिति में हमको इस बात की सूचना राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई कि अनुपूरक कार्यसूची आयेगी और न किसी प्रकार की बात बताई गई और इसमें कुछ विधेयक ऐसे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं बोला हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कार्यमंत्रणा समिति के एजेन्डे में अनुपूरक कार्य सूची है। ..(व्यवधान)... यह खुद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि आप स्वयं पढ़ लें। जितने विधेयकों की सूचना दी गई है... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं नहीं सुन सकता। आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा की बात है, इस तरह के विधेयक के लिए राजनीतिक परंपरा की अनुगूंज छत्तीसगढ़ की राजनीति में दूर तक जायेगी। कोई भी राज्य सत्ता स्थाई नहीं रहेगी। हमने 15 साल में किसी के नाम बदलने की कोशिश नहीं की। यह जो परंपरा छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रही है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया, आप बैठ जाईये।

समय :
11:42 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 32 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत सम्मिलित किया गया है। कार्यमंत्रणा समिति में लिये गये निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण की सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा सभा के पटल पर रखा माना जायेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

कार्यसूची के पद क्रमांक -4 के उप पद (2) के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी :-

(1) सर्व श्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल
(2) श्रीमती अम्बिका सिंहदेव
(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू
(4) श्री देवव्रत सिंह
(5) श्री धनेन्द्र साहू
(6) श्री प्रमोद कुमार शर्मा
(7) सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, शैलेष पाण्डेय

(8) श्री संतराम नेताम
(9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा
(10) श्री देवेन्द्र यादव
(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा
(12) श्री सत्यनारायण शर्मा
(13) श्री नारायण चंदेल
(14) श्री शिशुपाल सोरी
(15) श्री नारायण चंदेल
(16) श्री सत्यनारायण शर्मा
(17) श्री संतराम नेताम
(18) श्रीमती इन्दु बंजारे
(19) श्री देवेन्द्र यादव
(20) श्री सौरभ सिंह
(21) श्री सत्यनारायण शर्मा
(22) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सुश्री शकुंतला साहू
(23) श्री नारायण चंदेल
(24) श्री सौरभ सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(25) श्री संतराम नेताम

(26) श्री इन्द्रशाह मण्डावी

(27) श्री सौरभ सिंह

(28) श्री सौरभ सिंह

(29) श्री अजीत जोगी

(30) डॉ. रमन सिंह

(31) सर्वश्री संतराम नेताम, कुलदीप जुनेजा

(32) श्री विकास उपाध्याय

(व्यवधान)

समय :

11:43 बजे **नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 16 मार्च, 2020 को मैंने सदन में 15 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
5. श्री बघेल लखेश्वर
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
9. श्री पारसनाथ राजवाड़े
10. श्री धरमलाल कौशिक
11. श्री गुलाब कमरो
12. श्रीमती इन्दू बंजारे
13. श्री पुन्नूलाल मोहले
14. श्री देवेन्द्र यादव
15. श्री ननकीराम कंवर (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय भूपेश बघेल जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयकों पर अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद में इसको जारी किया गया है। उसके बाद भी नियम, प्रक्रिया सबको किनारे रख करके यदि कार्यवाही चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कुछ बोलने की जरूरत है। इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

समय :

11:44 बजे

बहिष्कार

अनुपूरक कार्यसूची जारी किये जाने के विरोध में।

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अनुपूरक कार्यसूची जारी किये जाने विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- जाते-जाते सुन लो । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी असली पीड़ा अजय जी के भाषण से सामने आई है । छत्तीसगढ़ को ये लोग 15 साल अपमानित करते रहे । इन्होंने छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं के नाम से आज तक एक भी काम नहीं किया । पहली बार चंदूलाल चंद्राकर न केवल सांसद थे बल्कि छत्तीसगढ़ निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे । उनके नाम से रखा गया इस कारण इनको पीड़ा हो रही है । छत्तीसगढ़ में तो इनके महापुरूष भी नहीं हैं । इसलिए नाम नहीं रख पा रहे हैं । आज तक परम्परा रही है कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर डिविजन मांगा जाए । आज इन्होंने डिविजन मांगा है । जब चंदूलाल चंद्राकर जी का नाम आया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज सौभाग्य की बात है कि कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय वासुदेव चन्द्राकर जी के नाम पर रखा गया (मेजो की थपथपाहट) और अच्छी बात यह है कि आज ही उनकी जयंती भी है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, इससे पावन अवसर और क्या हो सकता है । ये लोग छत्तीसगढ़ के माटीपुत्रों का 15 साल तक अपमान करते रहे और जब यह सदन, यह सरकार माटी पुत्रों का सम्मान करने जा रही है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाये और बहिर्गमन कर गये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11:46 बजे

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (2) एवं नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिए अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिए अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों का निर्वाचन

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य, जिनमें से क्रमशः 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य, जिनमें से क्रमश: 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2020-2021 की अवधि हेतु क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में आज गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा आज अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना अपराह्न 2.30 बजे से विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान आज अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

समय :
11:50 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 07 में सम्मिलित याचिकाओं को संबंधित सदस्य द्वारा पढ़ा हुआ माना जाये।

मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11:50 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) के पुर:स्थापन करता हूं।

समय :

11:51 बजे

वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अनुदान मांगों पर मुखबंध (गिलोटीन)

मांग संख्या	-	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	-	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	-	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मांग संख्या	-	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	19	लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या	-	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जी.एस.टी.)
मांग संख्या	-	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	24	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
मांग संख्या	-	67	लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या	-	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	-	3	पुलिस
मांग संख्या	-	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	-	5	जेल
मांग संख्या	-	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
मांग संख्या	-	37	पर्यटन
मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मण्डल
मांग संख्या	-	13	कृषि
मांग संख्या	-	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	16	मछलीपालन
मांग संख्या	-	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग
मांग संख्या	-	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या	-	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	-	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	-	33	आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या	-	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
मांग संख्या	-	49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या	-	53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	-	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या	-	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या	-	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन
मांग संख्या	-	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	-	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	-	27	स्कूल शिक्षा
मांग संख्या	-	17	सहकारिता
मांग संख्या	-	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
मांग संख्या	-	36	परिवहन
मांग संख्या	-	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	10	वन
मांग संख्या	-	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय
मांग संख्या	-	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण
मांग संख्या	-	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	-	18	श्रम
मांग संख्या	-	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	34	समाज कल्याण
मांग संख्या	-	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या	-	35	पुनर्वास
मांग संख्या	-	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	20	लोक स्वास्थ यांत्रिकी
मांग संख्या	-	56	ग्रामोद्योग
मांग संख्या	-	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मांग संख्या	-	44	उच्च शिक्षा
मांग संख्या	-	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
मांग संख्या	-	43	खेल और युवक कल्याण
मांग संख्या	-	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरंक्षण विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	-	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदा के सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को:-

मांग संख्या	-	1	सामान्य प्रशासन के लिए- तीन सौ सत्रह करोड़, इकतीसस लाख, बाईस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए- सत्ताईस करोड़, पन्द्रह लाख, इक्कीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए- छ: हजार चार सौ इंक्यानबे करोड़, उनहत्तर लाख, चौवन हजार रूपये,
मांग संख्या	-	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए- एक सौ चार करोड़, पैंसठ लाख रूपये,
मांग संख्या	-	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो हजार सात सौ बत्तीस करोड़, इक्कीस लाख, बयालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- पांच सौ एक करोड़, सोलह लाख, उन्चास हजार रूपये,
मांग संख्या	-	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ तैंतीस करोड़, एक लाख, बीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए- एक सौ नब्बे करोड़, छियासी लाख, चार हजार रूपये,
मांग संख्या	-	65	विमानन विभाग के लिए- एक सौ तीस करोड़, सतासी हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए- तीन हजार नौ सौ पच्चीस करोड़, बत्तीस लाख, नौ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- दो हजार आठ सौ चौबीस करोड़, चौवन लाख, इक्कीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए- दो हजार तीन सौ उनतीस करोड़, तीन लाख, सत्तानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक हजार इंक्यावन करोड़, तिरसठ लाख, निन्यानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ तिरानबे करोड़, पच्चीस लाख, अड़तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- तीन करोड़, छियालीस लाख, पचहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या	-	24	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिए- दो हजार छः सौ पचहत्तर करोड़, तिरानबे लाख, बीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	67	लोक निर्माण कार्य- भवन के लिए- एक हजार छः सौ तीन करोड़, बत्तीस लाख, बावन हजार रूपये,
मांग संख्या	-	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए - सात सौ तीस करोड़ रूपये,
मांग संख्या	-	3	पुलिस के लिए- पांच हजार पचहत्तर करोड़, नवासी लाख, नवासी हजार रूपये
मांग संख्या	-	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए- एक सौ बत्तीस करोड़, पचासी लाख, सनतानबे हजार रूपये
मांग संख्या	-	5	जेल के लिए- एक सौ छियानबे करोड़, सत्तर लाख, चौरासी हजार रूपये
मांग संख्या	-	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए- सत्रह करोड़, छिहत्तर लाख, पचास हजार रूपये
मांग संख्या	-	37	पर्यटन के लिए- एक सौ तीन करोड़, पचास लाख रूपये
मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मंडल के लिए- बांसठ करोड़, ग्यारह लाख, तिरसठ हजार रूपये
मांग संख्या	-	13	कृषि के लिए - चार हजार पचास करोड, छः लाख, अड़तीस हजार रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- पांस सौ नौ करोड़, तिरसठ लाख रूपये
मांग संख्या	-	16	मछली पालन के लिए- सत्तर करोड़, पांच लाख, अन्ठानबे हजार रूपये ।
मांग संख्या	-	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ अड़तीस करोड़, पचास लाख रूपये ।
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग के लिए- एक हजार इकसठ करोड़, अड़सठ लाख, तिरपन हजार रूपये ।
मांग संख्या	-	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक सौ बीस करोड़, चौरासी लाख, पचपन हजार रूपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए- चार सौ अड़तालीस करोड़, उनसठ लाख, अस्सी हजार रूपये
मांग संख्या	-	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- छः सौ संतानबे करोड़, इकतीस लाख रूपये ।
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- एक सौ करोड़ रूपये ।
मांग संख्या	-	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- चार सौ नब्बे करोड़, छियासठ लाख, एक हजार रूपये
मांग संख्या	-	33	आदिम जाति कल्याण के लिए-चार हजार आठ सौ उनसठ करोड़, सात लाख संतानबे हजार रूपये;
मांग संख्या	-	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए- अट्ठारह हजार नौ सौ चौदह करोड़, तिहत्तर लाख, तिरपन हजार रूपये.
मांग संख्या	-	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए- नौ सौ सैंतालीस करोड़, तेईस लाख रूपये ।
मांग संख्या	-	49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए- चार करोड़, अस्सी लाख, सत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या	-	53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-पचासी करोड़ सतासी लाख, अड़तालीस हजार रूपये.
मांग संख्या	-	64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए- छः हजार पांच सौ तिरालीस करोड़, सैंतीस लाख, अट्ठारह हजार रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए- दो सौ सन्तावन करोड़, छब्बीस लाख, दस हजार रूपये.
मांग संख्या	-	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए- एक सौ पैंसठ करोड़, संतावन लाख, चालीस हजार रूपये.
मांग संख्या	-	15	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- दो सौ बावन करोड़, अड़तीस लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या	-	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए- एक सौ पैंतीस करोड़, चौरासी लाख, इक्यासी हजार रूपये.
मांग संख्या	-	27	स्कूल शिक्षा के लिए- पांच हजार एक सौ अठासी करोड़, सोलह लाख तिरसठ हजार रूपये
मांग संख्या	-	17	सहकारिता के लिए- दो सौ छप्पन करोड़, पच्चीस लाख, छिहत्तर हजार रूपये
मांग संख्या	-	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए- चार सौ अन्ठावन करोड़, साठ लाख, बावन हजार रूपये
मांग संख्या	-	36	परिवहन के लिये- एक सौ करोड़, सतासी लाख, बयालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए- छः सौ चौदह करोड़, इंक्यानबे लाख, पैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	10	वन के लिए- एक हजार सात सौ बयासी करोड़,छियानबे लाख, पैंतालीस हजार रूपये
मांग संख्या	-	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए- तीन सौ अड़तालीस करोड़, नवासी लाख, तैंतालीस हजार रूपये
मांग संख्या	-	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय के लिए- तेईस करोड़, छियालीस लाख, बारह हजार रूपये
मांग संख्या	-	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण के लिए- नौ सौ छः करोड़, चवालीस लाख रूपये
मांग संख्या	-	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता केलिये- दो हजा दो सौ पचासी करोड़, अड़तालीस लाख, तेईस हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 18 श्रम के लिए- दो सौ पंद्रह करोड़, चौरासी लाख, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार एक सौ सत्रह करोड़, सोलह लाख, अड़तीस हजार रूपये।

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये-चौरानबे करोड़, दस लाख, पंचानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये-इक्कीस करोड़, चौबीस लाख रूपये,

मांग संख्या - 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये- एक हजार एक सौ अड़सठ करोड़, सन्तावन लाख, अड़सठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिये- दो करोड़, इक्कीस लाख, बयानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये-छः सौ पन्चानबे करोड़, सताईस लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए-छः सौ उनचालीस करोड़, उनतीस लाख, अट्ठाईस हजार रूपये,

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये-एक सौ चौंतीस करोड़, सत्रह लाख, चौहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये- तीन सौ बयानबे करोड़, आठ लाख, चौवन हजार रूपये,

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिये-सात सौ उन्यासी करोड़, पैंतालीस लाख, छब्बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 46 विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये-पच्चीस करोड़, पचास लाख रूपये,

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये-चौरासी करोड़, उनचालीस लाख, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए-दो हजार चार सौ पंचानबे करोड़, सड़सठ लाख, अस्सी हजार रूपये,

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए-पैंतालीस करोड़, उनहत्तर लाख, सतहत्तर हजार रूपये तथा,

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये-बावन करोड़, बीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री द्वारा एक साथ प्रस्तुत की गई सभी अनुदान की मांगों की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पारित किया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

(2) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) का पुर:स्थापन.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) का पुर:स्थापन।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) का पुर:स्थापन।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

(5) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) का पुर:स्थापन।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

(6) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) का पुर:स्थापन।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

(7) छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) का पुर:स्थापन।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

(8) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) का पुर:स्थापन।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(9) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11, सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(10) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12, सन् 2020) के पुर:स्थापन करता हूं ।

(11) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(12) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(13) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15, सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(14) छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16, सन् 2020) के पुर:स्थापन के अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16, सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

समय :
12:13 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

(15) छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2, सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2, सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2, सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2, सन् 2020) पारित किया जाय ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 19 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 से 19 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय:- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(16) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

समय :

12:18 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- आपको इस पर कुछ कहना है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(17) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक क अंग बने ।

खण्ड 2 सये 6 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक क अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमनल सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन 2020) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन 2020) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ ।

(18) छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020)

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन 2020) पर विचार किया जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2020 (क्रमांक 6 सन 2020) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह यह कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन 2020) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति संशोधन विधेयक, 2020 क्रमांक 6 सन् 2020 पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(19) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020(क्रमांक 7 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020)पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(20) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि - महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(21) छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(22) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020)

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पारित किया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदयः- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(10) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(11) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(12) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन 2020) पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन 2020) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन 2020) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन 2020) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(13) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन 2020) पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन 2020) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयकों के खंडों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयका का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन 2020) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(14) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन 2020) पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन 2020) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयकों के खंडों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयका का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन 2020) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:40 बजे

संकल्प

राज्य में बायो एथेनॉल उत्पादन इकाईयों की स्थापना

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि - "छत्तीसगढ़ राज्य के अतिशेष खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादन (धान, गन्ना, मक्का आदि) से बायो एथेनॉल बनाने की दीर्घ अवधि न्यूनतम 10 वर्ष हेतु अनुमति एवं पेट्रोल में मिश्रण हेतु धान से बनाये जाने वाले एथेनॉल की दरों का युक्तियुक्त निर्धारण किया जाये ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में नये बायो एथेनॉल संयंत्रों में निवेश बढ़ाया जा सके और राज्य के किसानों को फसलों का समुचित प्रतिदान प्राप्त हो।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "छत्तीसगढ़ राज्य के अतिशेष खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादन (धान, गन्ना, मक्का आदि) से बायो एथेनॉल बनाने की दीर्घ अवधि न्यूनतम 10 वर्ष हेतु अनुमति एवं पेट्रोल में मिश्रण हेतु धान से बनाये जाने वाले एथेनॉल की दरों का युक्तियुक्त निर्धारण किया जाये ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में नये बायो एथेनॉल संयंत्रों में निवेश बढ़ाया जा सके और राज्य के किसानों को फसलों का समुचित प्रतिदान प्राप्त हो।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

समय :

12:42 बजे

नियम 167(1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :-

1. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं डॉ. रमन सिंह द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 09/2019 दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
2. माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा सुनील माहेश्वरी नामक व्यक्ति द्वारा अपने नाम के सम्मुख छाया विधायक लिखे जाने पर प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 10/2019 दिनांक 02 दिसम्बर, 2019,
3. माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं नारायण चंदेल द्वारा कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री रविन्द्र चौबे के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्रमांक 11/2020 दिनांक 24 फरवरी, 2020 एवं

4. माननीय सदसय सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं नारायण चंदेल द्वारा गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय ताम्रध्वज साहू के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 12/2020 दिनांक 24 फरवरी, 2020

को विचारोपरांत, मैंने अपने कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

समय :
12:44 बजे

<u>नियम 239 के अन्तर्गत सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :-

1. माननीय सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 08/2019 दिनांक 28 नवम्बर, 2019.
2. माननीय सदस्य सर्व श्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 13/2020 दिनांक 02 मार्च, 2020
3. माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा एवं अन्य 18 माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चन्द्राकर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 14/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020
4. माननीय सदस्य, श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय एवं अन्य07 माननीय सदस्यों द्वारा नेशनल हाइवे टोल प्लाजा लखौली आरंग के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 15/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020
5. माननीय सदस्य, श्रीकुलदीप जुनेजा एवं श्री मोहित राम द्वारा माननीय श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री डमरूधर पुजारी के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 16/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020.
6. माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्षश्री धरमलाल कौशिक एवं अन्य 11 मान.सदस्यों के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 17/2020.

एवं

7. माननीय सदस्य, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 18/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

सत्र समापन

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की पांचवी विधान सभा का यह षष्टम सत्र 24 फरवरी से 1 अप्रैल, 2020 तक आहूत था, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में निर्धारित तिथि से पूर्व आज सम्पन्न हो रहा है । उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ राज्य बनने के बाद यह प्रथम अवसर है कि विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराए बिना गिलोटिन के माध्यम से बजट स्वीकृत किया गया ।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी एवं सभी माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप राज्य एवं देश को कोरोना महामारी से मुक्त करने में सामूहिक पहल के लिए संकल्पित रहें । राज्य शासन ने पूर्ण गंभीरता के साथ इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हमारा राज्य एवं देश कोरोना से मुक्त होगा । जहां हम एक ओर कोरोना महामारी के देश से पीड़ित हैं, वहीं दूसरी ओर विगत दिनों बस्तर में घटित नक्सली घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी ।

सामान्य तौर पर सत्र समापन के अवसर पर आसंदी से संक्षेप में सत्र की समीक्षा रखी जाती है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसका उल्लेख करना मैं प्रासंगिक नहीं समझता । सत्र की अब तक की अवधि में जिन भी महानुभावों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग और सहभागिता रही है, उन सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूँ ।

आइए, हम सब मिलकर इस महामारी की रोकथाम के लिए मिलकर कार्य करें, हमारा यह व्यक्तिगत सहयोग न केवल राज्य और राष्ट्र की सेवा होगी, बल्कि हमारा यह प्रयास सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए दिया गया हमारा अमूल्य योदान भी होगा ।

जय-हिन्द, जय-छत्तीसगढ़ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा, माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 12 बजकर 48 मिनट पर विधानसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 26 मार्च, 2020

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं